आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणीः तारीख–सहित
11/12/15	**आदेश** पी0डी0एस0 अपील संख्या–224/12–13 अमरेन्द्र कुमार सिंह वनाम सरकार का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक–01(प्र0)/आ0 दिनांक–29.01.2013 के विरूद्ध समाहर्त्ता, बांका के न्यायालय में दायर किया गया है। अपीलार्थी शंभुगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत पकरिया के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता थे जिनकी अनुज्ञप्ति संख्या–74/12 को विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के द्वारा कुल–04 बिन्दुओं पर आरोप के आलोक में रद्ध कर दिया गया है। अपील अंगीकृत किया गया है। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। निर्धारित तिथि पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मुखिया/सरपंच एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रत्येक माह में उचित रूप से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव एवं वितरण किया जाता था। दिनांक–26.11.2012 को उनके दुकान की जॉच की गई एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक–30.11.2012 को विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका द्वारा उनसे कारण पृच्छा किया गया। कारण पृच्छा समर्पित करते हुए सभी पंजियों को जमा किया गया था परन्तु कागजातों एवं कारण पृच्छा को नकारते हुए दिनांक–29.01.2013 को उनकी अनुज्ञप्ति रद्ध कर दी गई है। अपने बचाव में कहा गया कि अपीलार्थी कई बिमारियों से ग्रस्त है एवं जॉच कराने हेतु शंभुगंज गये थे फलस्वरूप जॉच तिथि को उपस्थित नहीं रह पाये। सूचना पट्ट पर मुल्य एवं भंडार की स्थिति प्रदर्शित किया गया था जिसपर विचार नहीं किया गया। जहॉ तक बी0पी0एल0 एवं अन्तयोदय खाद्यान्न केवल माह अक्टूबर में वितरण किये जाने का आरोप है वह गलत एवं आधारहीन है। तथ्य यह है कि माह जनवरी, 2012 के लिए जमा किये गये खाद्यान्न की आपूर्ति माह–अप्रेल, 2012 में किया गया जिसका वितरण कर कूपन प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय, शंभुगंज में जमा किया गया है। इसी प्रकार माह–सितम्बर एवं अक्टूबर, 2012 के खाद्यान्न का वितरण कर कूपन जमा किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि जनवरी, 2012 में जमा ड्राफ्ट का खाद्यान्न मार्च, 2012 में प्राप्त होने के कारण माह–फरवरी एवं मार्च के खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण नहीं किया जा सका तथा बीमारी के ईलाज कराने के कारण वर्ष– 2012 के बाकी बचे माह का ड्राफ्ट जमा नहीं किया जा सका था। राशन कार्ड पर किरासन तेल एवं खाद्यान्न की प्रविष्टि नहीं करने का आरोप गलत एवं अविश्वनीय प्रतीत होता है। बताया गया कि कूपन के आधार पर किरासन तेल एवं खाद्यान्न की आपूर्ति कर रासन कार्ड में प्रविष्टि विधिवत की जाती है। यदि कही प्रविष्टि छूट गई हो यह गलती हुई होगी लेकिन वितरण की प्रविष्टि राशन कार्ड में उचित रूप से किया जाता रहा है। उक्त तथ्यों को रखते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता	

द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश को निरस्त करने एवं अनुज्ञप्ति बहाल करने का अनुरोध किया गया।

सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक बांका द्वारा कहा गया कि अपीलार्थी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है। विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका का आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चांदन एवं बांका द्वारा संयुक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञप्ति रद्ध की गई है। बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था। अपील खारिज करने योग्य है।

बहस के आलोक में अभिलेख का परीक्षण किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख में दिनांक–10.12.2012 को समर्पित स्पष्टीकरण में अपीलार्थी ने यह कहा है कि जनवरी, 2012 में जमा ड्राफ्ट के खाद्यान्न की आपूर्ति माह अप्रैल, 2012 में गई थी। स्पष्टीकरण में आगे यह भी कहा गया है कि जनवरी, 2012 में जमा ड्राफ्ट के विरूद्ध खाद्यान्न की आपूर्ति दिनांक–31 मार्च 2012 को किया गया है। इसी प्रकार का कथन अपील आवेदन के कंडिका– 3 एवं 4 में भी किया गया है। वस्तुतः जनवरी, 2012 में जमा ड्राफ्ट के विरूद्ध खाद्यान्न की आपूर्ति माह मार्च या अप्रेल–2012 में किया गया है इस बिन्दु पर अपीलार्थी स्वयं स्पष्ट नहीं है। इनके कथन में विरोधाभास है।

अपने बचाव में जो भी कहा गया है उसे साक्ष्य से सम्पुष्ट नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय अभिलेख में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चांदन एवं बांका के द्वारा दिनांक–26.11.2012 को समर्पित संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में कुल–08 लाभुकों के ब्यान से यह ज्ञात होता है कि अपीलार्थी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे एवं खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की गई थी। दिनांक–26.11.2012 के सूचना पट्ट का स्थिति प्रतिवेदन भी जॉच पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया है जिससे पता चलता है कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की वांछित जानकारी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। साथ ही खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण भी संतोषजनक नहीं रहा है। बचाव में प्रस्तुत कथन लचर है एवं साक्ष्य से सम्पुष्ट नहीं है।

अतः तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश में कोई हस्तक्षेप करने का कारण नजर नहीं आता है। फलस्वरूप विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित
11.12.15
समाहर्त्ता,
बांका

11.12.15
समाहर्त्ता
बांका